

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/92/2025

बबीता पत्नि भुवनेश कुमार निवासी मकान नं0 214, ग्राम व पोस्ट भूतौली,
तहसील वैर, जिला भरतपुर राज0

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर

.....रेस्प0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 08.01.2026

अपीलार्थी बबीता पत्नि भुवनेश कुमार निवासी मकान नं0 214, ग्राम व पोस्ट भूतौली, तहसील वैर, जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील संख्या 060111323659642 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना उपखण्डाधिकारी वैर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/1053 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्डाधिकारी वैर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

अपील / आरटीआई / 92 / 2025
बबीता बनाम लो.सू.अ. उपखण्डाधिकारी वैर

अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।



(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर